

कार्यालय आयुक्त OFFICE OF THE COMMISSIONER

सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय इंदौर C.G.S.T. & CENTRAL EXCISE, COMMISSIONERATE INDORE जी.एस.टी. भवन, माणिक बाग पैलेस,इंदौर (म.प्र- (.४५२०१४ GST BHAWAN, MANIKBAGH PALACE, INDORE (M.P.) – 452014

© (0731) 24462774

⊠cgst-indore@gov.in

<u>TRADE NOTICE No. 03/2024-25 (CENTRAL TAX)</u> <u>DATED 23-11-2024</u>

व्यापार सूचना क्रमांक 03/2024-25 (केन्द्रीय कर) दिनांक 23-11-2024

Subject: - Trade Facilitation Meeting with the members of Trade Associations & Tax Practitioner Association - reg.

विषय: - ट्रेड एसोसिएशन और टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ व्यापार सरलीकरण मीटिंग के संबंध में ।

- 1. Kind attention of all the members of Trade/ Industry/ Trade Associations/ Chambers of Commerce and Industry/ RAC and all others concerned is invited towards an "Trade Facilitation Meeting" system is being introduced wherein members of Trade Association & Tax Practitioners can meet with the Group A officers posted at Manik Bagh Palace, HQRS, Divisional AC/DC & Jurisdictional Range Officers of Indore Commissionerate without any appointment. This initiative aims to provide an opportunity to taxpayers to directly connect with their jurisdictional officers and discuss on GST matters such as filing of various GST returns, registration, revocation & other GST related grievances/matters.
- 1 . व्यापार/उद्योग/व्यापार संघों/चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री/आरएसी और अन्य सभी संबंधित सदस्यों का ध्यान एक "व्यापार सरलीकरण मीटिंग" प्रणाली की ओर आकर्षित किया जा रहा है, जिसमें व्यापार संघ के सदस्य और टैक्स प्रैक्टिशनर्स माणिक बाग पैलेस , मुख्यालय में पदस्थ ग्रुप ए अधिकारियों, प्रभागीय उप/सहायक आयुक्त एवं संबंधित रेंज अधिकारी से बिना किसी समयादेश के बैठक / मुलाकात कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य करदाताओं को अपने क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों से सीधे जुड़ने और विभिन्न मामलों यथा जीएसटी रिटर्न्स दाखिल करने, रेजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन एवं अन्य जीएसटी संबंधित परिवाद/मामलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना है।
- 2 . The "Trade Facilitation Meeting" timings will be 12:00 P.M. to 01:00 P.M. on every Wednesday.

- 2. "घ्यापार सरलीकरण मीटिंग" का समय प्रत्येक बुधवार दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे तक को होगा।
- 3. The above initiative may please be brought to the notice of members of your association in particular and trade in general.
- 3 . कृपया उपरोक्त पहल को आपके एसोसिएशन के सदस्यों और सामान्य व्यापारियों के ध्यान में लाया जाए।

(प्रतुल तिवारी) (Pratul Tiwari) आयुक्त Commissioner